न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 :– 43/2022 तारीख रजू :– 23.06.2022

पीठासीन अधिकारी – हेमराज गुर्जर (R.A.S.)

1. अमरसिंह पुत्र चिम्मन
2. उदयसिंह पुत्र दर्याब
3. नौलख पुत्र रामसिंह
4. पूरन पुत्र रामसिंह
5. मोहनसिंह पुत्र चिम्मन
6. रतन पुत्र दर्याब
7. श्रीलाल पुत्र दर्याब
8. सत्यवीर पुत्र चिम्मन
9. हीरालाल पुत्र रामसिंह

जाति– जाट
निवासी– खिजूरी
तहसील–सूरौठ
जिला–करौली राज0

——— प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदारजी तहसील सूरौठ, जिला करौली राज0

——— अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भू–राजस्व अधिनियम की धारा 128 बाबत पत्थरगढी</u>

उपस्थितः– 1. अशोक नीमनका वकील प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार अप्रार्थी

निर्णय

दिंनाक :– 24-5-24

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नं0 952 रकवा 11 ऐयर स्थित ग्राम खिजूरी तहसील सूरौठ जिला करौली राज0 के प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार हैं। जिस पर प्रार्थीगण काबिज एवं दखील है [illegible] अन्य किसी व्यक्ति का कोई संबंध किसी प्रकार का नही है। [illegible] करना आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.01.30 16:04:48 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि आराजी की डोल मेड [illegible] लेकर प्रार्थीगण एवं अन्य लोगों के मध्य भ्रम की स्थिति बना रहती है। जिसके चलते आये दिन रकबे को लेकर डोल मेड की स्थिति को लेकर विवाद की स्थिति एवं संभावना बनी रहती है। उक्त परिस्थितियों को टालने एवं समस्या को स्थायी निवारण बाबत्

खसरा नं0 952 स्थित ग्राम खिजूरी तहसील सूरौठ की पत्थरगढी किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आराजी खसरा नं0 952 रकवा 11 ऐयर स्थित ग्राम खिजूरी तहसील सूरौठ की पत्थरगढी करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तबल किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार तहसीलदार सूरौठ द्वारा जबाब पेश किया गया जिसमें उक्त आराजी खसरा न0 952 रकबा 0.11 है0 दिनांक 08.06.2022 को हल्का पटवारी खेडी हैवत व गठित टीम द्वारा सीमाज्ञान कर दिया गया है।

प्रार्थी ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2070–73, नकल फर्द मौका रिपोर्ट ग्राम खिजूरी तहसील सूरौठ दिनांक 08.06.2022 पेश किये है।

प्रार्थीगण वकील स्वंय उपस्थित। प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और अवगत कराया है कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 952 रकवा 0.11 ऐयर का पत्थरगढी कराने के आदेश तहसीलदार सूरौठ को फरमावें।

प्रार्थीगण वकील को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2070–73 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 952 रकवा 0.11 ऐयर अमरसिंह पुत्र चिम्मन हिस्सा 1/9, उदयसिंह पुत्र दर्याब हिस्सा 1/9, नौलख पुत्र रामसिंह हिस्सा 1/9,पूरन पुत्र रामसिंह हिस्सा 1/9, मोहनसिंह पुत्र चिम्मन हिस्सा 1/9, रतन पुत्र दर्याब हिस्सा 1/9, श्रीलाल पुत्र दर्याब हिस्सा 1/9, सत्यवीर पुत्र चिम्मन हिस्सा 1/9, हीरालाल पुत्र रामसिंह हिस्सा 1/9 वाके ग्राम खिजुरी तहसील सूरौठ के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त भूमि रहन दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.01.30 16:04:48 IST
Reason: SelfAttested

नकल फर्द मौका रिपोर्ट ग्राम [illegible]हसील सूरौठ दिनांक 08.06. 2020 में अंकित किया है कि आज दिनांक [illegible]06.2022 को मुताविक आदेश ब हमराह गिरदावर ढिंढोरा व हमराह पटवारी [illegible]हैवत के साथ ग्राम खिजुरी के खसरा नम्बर 952 रकवा 0.11 ऐयर पर उपस्थित आया। मौके पर पडोसी खातेदारों को बुलवाया गया प्रार्थीगण को खसरा न0 952 की सीमाओं का ज्ञान मुक्तकिल

बिन्दुओं से फीता चलाकर कराया गया एवं निशानात कायम कराये गये। मौका पर्चा पढकर सुनाया गया एवं उपस्थित लोगों के हस्ताक्षर कराये ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 952 का पुनः सीमाज्ञान करते हुए पत्थरगढी कराने के आदेश तहसीलदार सूरौठ को दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। ऐसे हालात में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य न्यायोचित है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र भू–राजस्व अधिनियम की धारा 128 के तहत स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सूरौठ को आदेश दिये जाते हैं कि आप मौके पर पहुॅचकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 952 रकबा 0.11 ऐयर, ग्राम खिजुरी का मौके पर सीमाज्ञान करवाते हुए पत्थरगढी करावें, सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी की कार्यवाही करने से पूर्व तारीख एवं समय निशिचित करते हुए खसरा नम्बर 952 के सभी खातेदारों को मौके पर उपस्थित रहने हेतु नोटिस जारी करें तथा प्रार्थीगण को आदेशित किया जाता है कि सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी की नियमानुसार फीस तहसीलदार सूरौठ के यहॉ 7 दिवस में जमा करावें। पालना रिपोर्ट तहसीलदार सूरौठ एक माह में इस न्यायालय में पेश करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार सूरौठ को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिंनाक 24.05.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/5/24

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
[illegible] जिला करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.01.30 16:04.48 IST
Reason: SelfAttested